A Parela

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म०प्र० {समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

<u>विविध आप०प्र०क० 13 / 2015</u> संस्थापित दिनांक—16.06.15

श्रीमती मनीषा पत्नी अशोक पुत्री रामजीलाल जाति जाटव, आयु 28 साल, निवासी ग्राम बीलोनी तहसील गोहद, हाल निवासी नावली तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 आवेदिका

बनाम

अशोक पुत्र रघुवीर आयु 28 साल निवासी ग्राम बीलोनी हाल निवासी अमरीक का पुरा गल्ला मण्डी के पीछे अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0..... अनावेदक

<u>ः- आ दे श —ः</u> (आज दिनांक 06.04.2017 को पारित किया)

इस आदेश के द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 125 दप्रसं0 1973 (जिसे अत्र पश्चात् ''संहिता'' कहा जाएगा), वास्ते अनावेदक से भरणपोषण् राशि दिलाए जाने बावत्, का निराकरण किया जा रहा है।

- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी हैं, उनक विवाह दिनांक 10.06.2011 को हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था।
- 3. आवेदक का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका की शादी अनावेदक के साथ उसके माता पिता ने सामर्थ्य अनुसार दहेज देकर कराई थी। विवाह में एक लाख पचास हजार रूपये नगद, सभी सामान, वर्तन आदि दिए थे। जब आवेदिका शादी के बाद अपने मायके पहुंची तो अनावेदक व उसके ससुरालजन सास, ससुर, जिठानी, देवर, ननद, ताया ससुर कहने लगे कि विवाह में कुछ नहीं दिया और एक मोटरसाईकिल तथा सोने की लर लाने को कहा तो आवेदिका ने मना कर दिया। अनावेदक व उक्त लोग आवेदिका को खाने पीने को कुछ नहीं देते व उसकी मारपीट करते। वह विवाह के बाद चार दिन ससुराल में रही और फिर अपने माता पिता के यहां गयी जहां उसने सारी घटना बताई। उन्होंने रिश्तेदारों को ले जाकर अनावेदक व उसके परिवार वालों को समझाया इसके बाद आवेदिका के पिता ने विदा की। विदा के बाद अनावेदक व उसके ससुरालजन पुनः आवेदिका को परेशान कर मारपीट करने लगे, दहेज के लिए मोटरसाईकिल, सोने की लर लाने को कहते थे। दिनांक 30.08.14 को आवेदिका को घर के पहने कपडों में निकालकर उसके गांव नावली छोड गए तब से वह अपने माता पिता के साथ रहने को मजबूर है। अनावेदक

शारीरिक रूप से हृष्टपुष्ट होकर कारीगरी का काम करता है साथ ही कृषि भूमि है जिससे उसे करीब 20 हजार रूपये प्रतिमाह की आमदनी होती है। जबिक आवेदिका पढ़ी लिखी न होकर अपने माता पिता पर निर्भर है, उसकी आय का कोई साधन नहीं हैं। अतः अनावेदक से 5 हजार रूपये महीना भरणपोषण राशि दिलाए जाने की सहायता चाही है।

आवेदन पत्र के जबाव में अनावेदक द्वारा विवाह का तथ्य स्वीकार करते हुए इस तथ्य से इंकार किया है कि अनावेदक व उसके परिवारजन आवेदिका से किसी प्रकार की कोई भी सामान की मांग करते थे, शादी में भी सामान्य रीति से बिना कुछ लिए दिए शादी हुई थी। डेढ लाख रूपये व वर्णित सामान दिया जाना अस्वीकार किया है। आवेदिका को शादी के बाद ससुराल में प्रेम और स्नेह से रखा, कभी किसी बात की परेशानी नहीं होने दी। उसको खाने पीने की समुचित व्यवस्था की। शादी के बाद कोई पंचायत नहीं हुई। अनावेदक व उसके परिवारजन ने दहेज में मोटरसाईकिल व सोने की जंजीर की कोई मांग नहीं की और न कोई परेशानी होने दी। दि0 30. 08.14 को बताई गयी घटना पूर्णतः असत्य है। दिनांक 10.08.14 को रक्षाबंधन का त्यौहार होने से आवेदिका के पिता उसे लिवाकर ले गए थे जिसे सम्मानपूर्वक उसके पिता के साथ आभूषणों को पहनाकर भेजा था तब से आवेदिका अपने माता पिता के यहां अपनी मर्जी से बिना कारण के निवास कर रही है। अनावेदक व उसके परिवार के लोग अनेक बार लेने गए किन्तु उसके माता पिता भेजने को तैयार नहीं हैं। अनावेदक का कोई व्यवसाय धंधा नहीं हैं जबकि आवेदिका गोहद चौराहे पर रहकर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है। दिनांक 20.03.15 को अनावेदक अपने पिता के साथ आवेदिका को लेने गया तो आवेदिका के माता पिता ने आवेदिका से मिलने नहीं दिया और दूसरी शादी कर देने की धौंस दी, आभूषण मांगने पर देने से इंकार कर दिया और मारपीट को आमादा हो गए। दिनांक 27.05.15 को अनावेदक द्वारा एसडीओपी अंबाह को आवेदन दिया जिसके संबंध में आवेदिका के पिता को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा गया था साथ ही अनावेदक ने अपर जिला न्यायाधीश, अंबाह के समक्ष धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम की याचिका प्रस्तुत की है जिससे बचने के लिए आवेदिका ने असत्य तथ्यों पर आधारित आवेदन पेश किया है। अतः उसे निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5 प्रकरण मे मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

- 1-क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
- 2-क्या आवेदकगण अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
- 3-क्या अनावेदक आवेदकगण के भरण पोषण करने में इंकार या उपेक्षा कर रहा है ?
- 4-क्या आवेदकगण भरण पोषण राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
- 5-सहायता एवं व्यय।

सकारण निष्कर्ष

6. प्रकरण में आवेदक की ओर से आवेदिका श्रीमती मनीषा आ0सा01 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अनावेदक की ओर से स्वयं अशोक अना0सा0 1 एवं रघुवीर अना0सा0 2 को परीक्षित कराया गया। उभयपक्ष की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का निष्कर्ष

- 7. आबेदिका मनीषा आ0सा0 1 द्वारा अपने साक्ष्य में अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि अनावेदक कारीगरी का कार्य करके करीब 20—25 हजार रूपये महीने कमा लेता है जबिक आवेदिका दो साल से अपने माता पिता के घर रह रही है। आवेदिका द्वारा उसे दहेज के रूप में मोटरसाईकिल व सोने की चैन की मांग के लिए घर से निकाल देने का कथन किया है। इस प्रकार से आवेदिका ने उसके भरणपोषण हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहने का कथन किया है। अनावेदक अशोक अनावसाव 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि आवेदिका का पिता उसे ले गया तब से वह वापस नहीं आई। वह आवेदिका को रखने को तैयार है। साक्षी कथन करता है कि वह कोई काम काज नहीं करता जबिक आवेदिका खेतों में काम करके महीने में 50 हजार रूपये कमा लेती है फिर कथन करता है कि उसका लडका मजदूरी करता है, किन्तु उसके पेट में दर्द रहता है इसलिए हमेशा काम नहीं कर पाता। यह साक्षी भी आवेदिका द्वारा उसके माता पिता के यहां खेती वाडी करने का कथन करते हैं।
- 8. अनावेदक अशोक द्वारा कोई काम काज न करने का कथन किया गया है। प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में यह कथन करता है कि वह हमेशा बीमार रहता है, उसे बुखार आ जाता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर है, घुटनों तथा हाथ पैरों में दर्द होता है। रघुवीर अनावसाо 2 मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि अनावेदक अशोक के पेट में दर्द रहता है। साक्षी यह भी कथन करता है कि उसने अपने लड़के का इलाज मुरेना में कराया था किन्तु किस चिकित्सक के यहां इलाज कराया इसके संबंध में याद न होना बताता है। साथ ही स्वीकार करता है कि अनावेदक के इलाज के कोई भी पर्चे साक्षी लेकर नहीं आया है। अनावेदक अशोक अनावसाо 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आवेदन पत्र के जबाव में किसी बीमारी का उल्लेख नहीं किया। साथ ही यह भी कथन करते हैं कि बीमारी का कोई भी अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही यह भी कथन करते हैं कि बीमारी का कोई भी अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया। है। इस प्रकार से अनावेदक द्वारा जहां उसके घुटनों तथा हाथ पैर में दर्द रहने और बुखार आ जाने का कथन किया है इसके विपरीत उसके पिता रघुवीर अनावसाо 2 ने उसके लड़के के पेट में दर्द रहने का कथन किया है, जबिक इस प्रकार का कोई भी तथ्य अनावेदक द्वारा धारा 125 दप्रस के जबाव में लेख नहीं किया गया है। ऐसे में अभिवचनों के अभाव में साक्ष्य का कोई मूल्य

नहीं हैं। साथ ही कथित बीमारी के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना अनावेदक द्वारा बचाव के लिए आधार लिया जाना प्रतीत होता है।

- 9. अनावेदक अशोक अना०सा० 1 ने आवेदिका के द्वारा खेतों में काम करके भरण पोषण हेतु राशि कमा लेने का तथ्य प्रकट किया है। रघुवीर अना०सा० 2 ने भी माता पिता के साथ खेती वाडी करने का कथन अपने अभिसाक्ष्य में किया है, जबिक आवेदिका श्रीमती मनीषा आ०सा० 1 को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि वह अपने माता पिता के साथ खेतों में मजदूरी करके कथित राशि अर्जित कर लेती है। इसके विपरीत कण्डिका 3 में यह सुझाव दिया गया कि आवेदिका सिलाई कढाई का काम जानती है जिससे 10 हजार रूपये कमाकर अपना भरण पोषण कर लेती है, उक्त सुझाव से आवेदिका द्वारा इंकार किया है। ऐसे में आवेदिका के कथित रूप से भरण पोषण हेतु समर्थ होने का तथ्य सुदृढ़ साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं।
- 10. अनावेदक अशोक द्वारा उसके कथित रूप से कोई भी काम न करने का बचाव लेते हुए अक्सर बीमार रहने का आधार बताया है जबिक उसके पिता रघुवीर अना०सा० 2 द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि अनावेदक मजदूरी करता है, किन्तु पेट में दर्द की बीमारी के कारण सदैव मजदूरी नहीं कर पाता है। ऐसे में कथित बीमारी का कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत न होने से यह तथ्य अवश्य अभिलेख पर शेष रहता है कि अनावेदक मजदूरी करता है। ऐसे में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत रामदयाल वैश्य विरुद्ध अनीता कुमारी 2004 सी०आर०एल०जे० 3669 की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि व्यक्ति कमाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो दप्रसं० की धारा 125 के संबंध में यह माना जाएगा कि वह पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। साथ ही न्यायदृष्टांत श्रीमती शीलाबाई व अन्य विरुद्ध अशोक कुमार आई०एल०आर० 2014 म०प्र० 832 में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पति स्वस्थ और योग्य शरीर वाला है तो वह उसके पत्नी एवं बच्चों के भरणपोषण के दायित्व से नहीं बच सकता है। अतः यदि पति साधू भी हो गया है तो भी अपनी पत्नी व बच्चों के भरणपोषण का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत हरदेवसिंह विरुद्ध उठप० राज्य 1995 सी०आर०एल०जे० 1652 अवलोकनीय हैं।
- 11. जहां तक प्रकरण में आवेदिका के मजदूरी करके भरण पोषण कर लेने का आधार व्यक्त किया गया है तो इस संबंध में यह स्पष्ट प्रावधान हैं कि यदि आवेदिका अपने उदरपूर्ति हेतु कुछ धनराशि कमा भी लेती है तो यह आधार आवेदिका के भरण पोषण करने से इंकार किए जाने का नहीं हो सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत चतुर्भुज विरुद्ध सीताबाई ए०आई०आर०-2008 एस०सी०-30 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "यदि पत्नी जीने के लिए कुछ कमा रही है तो यह भरण पोषण से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता है, पत्नी पित के साथ जैसा जीवन स्तर गुजारती थी वैसा ही स्तर उसे अलग रहने पर भी मिलना चाहिए।" इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक संहिता

की धारा 125 के विषय हेतु पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है तथा आवेदिका अपना स्वयं का भरण पोषण करने में अस्मर्थ है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 3 का निष्कर्ष

- 12. प्रकरण में आवेदिका मनीषा आ०सा० 1 यह कथन करती हैं कि शादी के बाद जब वह ससुराल गयी तो अनावेदक व ससुरालजन सास, ससुर, देवर, ननद, जिठानी, ताउ ससुर ने कहाकि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया, अब मोटरसाईकिल और सोने की चैन लेकर आओ। साक्षी कथन करती है कि अनावेदक व परिवारजन उसके साथ मारपीट करते और दहेज के लिए प्रताडित करते थे। जब वह विदा होकर आई तो उसने अपने माता पिता को उक्त बातें बताई फिर माता पिता ने पंचायत जोडी तथा रिश्तेदारों को बुलाया उसके बाद पुनः ससुराल गयी, बाद में फिर दहेज के लिए परेशान करने लगे व मारपीट करते थे। साक्षी उसकी साक्ष्य से 2 वर्ष पूर्व से उसके मायके में निवासरत होने का कथन करती है। इस प्रकार से आवेदिका अनावेदक द्वारा उसे उसके ससुराल से निष्कासित किए जाने व अपने माता पिता पर निर्भर होने का कथन करती है। अनावेदक का भरण पोषण से इंकार किया जाना दर्शाया गया है। अनावेदक अशोक द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदिका का पिता उसे लेने आया किन्तु उसके बाद से वह वापस नहीं आई। साक्षी यह कथन करता है कि वह आवेदिका को लेने कई बार गया था किन्तु आवेदिका को उसके माता पिता ने मिलने नहीं दिया और भेजने से मना कर दिया।
- 13. अशोक अना०सा० 1 उपरोक्तानुसार आवेदिका का खेच्छा अपने माता पिता के यहां रहने का कथन किया है और यह कथन किया कि वह आवेदिका को लेने गया। साक्षी प्रतिपरीक्षण की किएडका 3 में दिनांक 10, 02 व 20 तारीख को आवेदिका को ससुराल से लेने जाने का कथन करता है। साक्षी किएडका 4 में स्वीकार करता है कि उसने अंबाह जिला मुरैना न्यायालय में घारा 9 का दावा पेश किया था जिसमें धारा 24 हिन्दू विवाह अिधनियम के अधीन आवेदिका के भरण पोषण हेतु आदेश हुआ था तथा यह स्वीकार करता है कि उसने आदेशानुसार साक्ष्य दिनांक तक कोई भी भरण पोषण राशि आवेदिका को अदा नहीं की है। रघुवीर अना०सा० 2 जो प्रतिपरीक्षण की किएडका 2 में आवेदिका को कई बार मायक से लेने जाने का कथन करते हैं, वे यह बताने में अस्मर्थ हैं कि किस किस तारीख को आवेदिका को लेने गए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की किएडका 2 में स्वीकार करते हैं कि उनके लडके ने अंबाह न्यायालय में घारा 9 हिन्दू विवाह अिधनियम की याचिका प्रस्तुत की थी किन्तु इस तथ्य से अनिभन्नता प्रकट करते हैं कि उक्त प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदिका को 5 हजार रूपये देने का कोई आदेश हुआ था या नहीं। यह साक्षी आगे यह कथन करता है कि उसके लडके अशोक ने अंबाह न्यायालय में 4–5 हजार रूपये दिए थे। जबिक अशोक अना०सा० 1 स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने साक्ष्य दिनांक तक कोई भी भरण पोषण राशि आवेदिका को अदा नहीं की है। अनावेदक का आचरण स्वयं ही आवेदिका के प्रति इंकार उपेक्षा का प्रमाण है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 4 का निष्कर्ष

- 14. आवेदिका मनीषा के द्वारा उसके अनावेदक से प्रथक रहने का कारण अनावेदक व उसके परिवारजन द्वारा मोटरसाईकिल तथा सोने की चैन की मांग के लिए प्रताडित किए जाने तथा पहने हुए कपड़ों में उसे पिता के घर छोड़ जाना बताया है। अनावेदक अशोक अना0सा0 1 द्वारा आवेदिका को कोई भी परेशानी ससुराल में न होने तथा उसके पिता द्वारा ले जाने के बाद वापस न लौटाने का कथन किया गया है। इस प्रकार से अनावेदक द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदिका द्वारा उससे प्रथक रहने का आधार दर्शित किया है। आवेदिका द्वारा प्रतिपरीक्षण की किण्डका 2 के अंत व 3 के प्रारंभ में यह स्वीकार किया है कि उसने ससुराल वालों के विरूद्ध दहेज की मांग के संबंध में कोई भी शिकायत या कार्यवाही नहीं की है। इसके विपरीत अनावेदक द्वारा यह दर्शाने हेतु कि वह आवेदिका को सदैव गरिमापूर्ण ढंग से पत्नी के रूप में रखने को तत्पर रहा इसके लिए कोई भी निश्चित समय जबिक वह आवेदिका को लेने गया, अभिलेख पर प्रमाणित नहीं किया गया है।
- 15. जहां तक अनावेदक द्वारा आवेदिका के वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए जाने का तथ्य है, इस संबंध में अशोक अना०सा० 1 यह बताने में अस्मर्थ है कि उक्त प्रकरण में कब तारीख लगी थी और आगे कौनसी तारीख लगी है। रघुवीर अना०सा० 2 भी इस तथ्य से अनिभन्नता प्रकट करता है कि उक्त प्रकरण अनावेदक द्वारा किसी राशि के भुगतान न किए जाने के कारण निरस्त हुआ है या नहीं। यदि तर्क के लिए आवेदिका की स्वीकृति के आधार पर यह मान भी लिया जावे कि अनावेदक द्वारा आवेदिका को दामपत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन हेतु कोई प्रकरण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अंबाह जिला मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त प्रकरण इस प्रकरण के बचाव के लिए प्रस्तुत किया गया हो, इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अनावेदक द्वारा उक्त दामपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के दावे की कोई प्रमाणित प्रति, आदेश पित्रका की प्रमाणित प्रति को प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे में उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत न किया जाना अनावेदक के विरुद्ध उपधारणा किए जाने का आधार उत्पन्न करता है।
- 16. प्रकरण में अनावेदक की ओर से न्यायदृष्टांत चंदाबाई विरुद्ध मांगीलाल 1984 एम०पी० डब्ल्यू०एन० नोट 394 के संबंध में आस्था व्यक्त की है जिसमें मान० न्यायालय द्वारा आवेदिका के प्रथक रहने का युक्तियुक्त कारण प्रमाणित करने में असफलता की दशा में भरण पोषण का हकदार न होना अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकरण में आवेदिका के द्वारा उसके प्रथक रहने का आधार अनावेदक व उसके परिवारजन द्वारा मोटरसाईकिल व सोने की चैन के लिए मांग किये जाने के कारण उसके प्रति कूरतापूर्ण आचरण को बताया है। जबकि अनावेदक द्वारा प्रकरण में भरण पोषण से बचने के लिए अनावेदक के बीमारी, अनावेदक द्वारा आवेदिका को कथित दामपत्य अधिकारों के

पुनर्स्थापन के मामले में धारा 24 के अधीन पारित अंतरिम भरण पोषण का अदा न किया जाना तथा इस प्रकरण में भी भरण पोषण अदा करने में बचने का प्रयास किया जाना अनावेदक के आचरण को दर्शित करता है। न्यायदृष्टांत राधामणि विरुद्ध मोनू 1986 किमनल लॉ जनरल—1129 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि धारा 125 दप्रस के प्रावधानों में प्रार्थी / प्रार्थीगण को अपना मामला अधिसंभावना की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करना होता है, न कि युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक है। ऐसे में आवेदिका द्वारा अभिकथित प्रथक रहने का कारण युक्तियुक्त होना अधिसंभावना की प्रबलता के आधार पर पाया जाता है। अतः आस्थागत न्यायदृष्टांत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्नता के कारण इस प्रकरण में अनावेदक को कोई लाभ प्रदान नहीं करते हैं।

17. प्रकरण में अनावेदक की ओर से न्यायदृष्टांत लीलाबाई विरूद्ध रघुनाथ प्रसाद 1981 एम०पी०डब्ल्यू०एन० नोट 160 के संबंध में आस्था व्यक्त की है जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि आवेदिका द्वारा पित के दूसरी शादी के आधार पर जहां प्रथक रहना बताया जाता है वह सहायता प्रदान करने हेतु युक्तियुक्त कारण है। ऐसे में आस्थागत न्यायदृष्टांत के तथ्य व परिस्थितियां प्रकरण में भिन्नता के कारण लागू नहीं होती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि अनावेदक अपनी धर्मपत्नी आवेदिका की भरण पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा व इंकार कर रहा है। आवेदिका अनावेदक से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होना पाई जाती है।

सहायता एवं व्यय

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों की अधिप्रबलता के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होते हुए आवेदिका अर्थात अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है। ऐसी दशा में उसका वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण सामर्थ्य अनुसार करे। आवेदिका द्वारा अनावेदक से भरणपोषण के रूप में 5 हजार रूपये राशि प्रतिमाह दिलाए जाने की मांग की है। आवेदिका की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत श्रीमती अफसाना वानो विरुद्ध औसफ अहमद 2016 (2) एम०पी०डब्ल्यू० एन० 133 के संबंध में आस्था व्यक्त की है जिसमें संहिता की धारा 127 के अधीन भरण पोषण राशि में वृद्धि किए जाने हेतु निर्णय करते हुए मान० उच्च न्यायालय द्वारा धारा 125 के आवेदनपत्र के निराकरण में भरण पोषण की राशि नियत करते समय ध्यान में रखे जाने वाले तथ्यों का विश्लेषण किया है। न्यायदृष्टांत हेमंत कुमार चकधर विरुद्ध विनीता चकधर 2016—1 एम०पी० डब्ल्यू०एन० 59 में आस्था व्यक्त की है जिसमें मान० उच्च न्यायालय द्वारा अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए आदेश दिनांक से 2500 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाए जाने का आदेश किया है। न्यायदृष्टांत कुंदन कुमार विरुद्ध श्रीमती गायत्री व अन्य 2016 (1) एमपीडब्ल्यूएन 80 के मामले में मान० उच्च न्यायालय ने पत्नी को 1 हजार रूपये प्रतिमाह एवं बालक को 500 रूपये के मामले में मान० उच्च न्यायालय ने पत्नी को 1 हजार रूपये प्रतिमाह एवं बालक को 500 रूपये

का भरण पोषण उचित माना, इससे कम नहीं दिलाया जा सकता। न्यायदृष्टांत विजेन्द्र त्यागी विरुद्ध श्रीमती रेखा शर्मा 2017 (1) एम०पी०डब्ल्यूएन० 75 में मान० न्यायालय के समक्ष मामले में पित की आय 30 हजार रूपये स्वीकार किए जाने के आधार पर पत्नी को 3 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण हेतु हकदार माना।

- 19. इस मामले में अनावेदक का मजदूरी करके भरण पोषण करने के संबंध में तथ्य आवेदिका द्वारा साक्ष्य में स्वीकार किया है। अपने पिता का मजदूरी करके एक हजार रूपये महीना कमा लेने के संबंध में कण्डिका 2 में कथन किया है जबकि अनावेदक का कारीगरी का काम करके 20—25 हजार रूपये माह कमा लेने का कथन किया है। ऐसे में आवेदिका द्वारा उसके पित की आय को अत्यंत बढा चढाकर बताया गया है। सामान्यतः एक मजदूर को प्रतिदिन लगभग तीनसौ रूपये के अनुसार करीब 9000/— रूपये प्रतिमाह अर्जित होती है। ऐसे में वर्तमान में तेजी से बढ़ रही वस्तुओं की कीमत एवं संसाधनों पर होने वाले व्यय तथा आजीविका के व्यय एवं बीमार होने की दशा में होने वाले खर्चों, विपक्षी के अन्य विधिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण राशि को नियत किया जाना समीचीन हैं।
- 20. अतः आवेदन पत्र विचारोपरांत स्वीकार करते हुए आवेदिका के प्रति अनावेदक के भरण पोषण दायित्व को निर्धारित करते हुए क्रमशः 1500/— रूपये (एक हजार पांचसौ) प्रतिमाह अनावेदक आवेदिका को प्रत्येक अंग्रेजी माह की 05 तारीख तक निवदत्त या संदत्त करेगा अन्यथा मनी आर्डर द्वारा भुगतान करेगा।
- 21. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि की अदायगी आवेदन प्रस्तुति दिनांक से किए जाने के लिए अनावेदक बाध्य होगा तथा पूर्व में अंतरिम भरणपोषण के रूप में प्राप्त की गयी राशि अंतिम आदेश में हिसाब में ली जावेगी। साथ ही आवेदिका द्वारा अन्य विधि के अधीन किसी भरण पोषण राशि के दावा किए जाने के समय यह भरण पोषण राशि विचार में ली जा सकेगी।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित कर पारित किया गया । सही

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया । सही /—

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

WILHER A PARETON SUNTA PROPERTOR SUNTA PROPERT